दिनांक:25.10.2024

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बडगाँव पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 05 बैटरे, 01 इन्वर्टर व 02 डीवीआर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2024 को वादी प्रशान्त कुमार पुत्र ब्रजपाल शर्मा निवासी ग्राम रतनहेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक किता लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की पत्थर/टाईल्स की दुकान का शटर तोडकर टोंटी, डीवीआर आदि सामान चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध मे थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 136/24 धारा 331(4)/305(a)/324(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। तथा दिनांक 19.10.2024 को अज्ञात चोरो के द्वारा ग्राम खुदाबक्शपुर में ऋषिपाल के घेर से इन्टर्वटर , हिच, लोहे की फट्टी इत्यादि का सामान चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 239/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं वादी अनुज शर्मा पुत्र नन्द किशोर शर्मा निवासी पंजाब काम्पलैक्स कस्बा व थाना बडगांव जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक किता लिखित तहरीर बाबत दिनांक 23/24.10.24 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के वर्णिका मेडिकल ऐजेन्सी तथा संजय क्लिनिक से इन्वर्टर बैटरे इत्यादि सामान चोरी किये जाने के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर दिनांक 24.10.2024 को मु0अ0सं0 238/24 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेकर चोरी की घटनाओं के अनावरण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2024 को उपरोक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण **1- राजू पुत्र नन्दपाल 2- रविन्द्र पुत्र महाराम निवासीगण ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को सर्विस रोड के सामने आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 05 बैटरे, 01 इन्वर्टर व 02 डीवीआर बरामद किए गये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त सभी अभियोगो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि कल रात को हमने एक बैटरा अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर हमारे गांव के ही रहने वाले ऋषिपाल पुत्र रूल्हा सिंह के घेर से चोरी किया था आज हम दोनो इस बैटरे को छिपाने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड लिया। बाकी चोरी किये सामान को हमने पहले ही फेरी करने वाले कबाडी को बेच दिया था तथा जो रूपये मिले थे उन्हे बराबर बराबर तीनो ने बांट लिया था । जो अब खर्च हो गये है । हमारा तीसरा साथी कही किसी काम से बाहर चला गया है तो हम दोनो ही इस बैटरे को छिपाने के लिए जा रहे थे । दिनांक 23/24.10.24 की रात्रि में भी हम दोनों ने ही अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर वर्णिका मेडिकल एजेन्सी से 02 बैटरे व 01 इन्वर्टर तथा संजय क्लीनिक बडगांव से 02 बैटरे चोरी किये थे तथा दिनांक 03/04.07.2024 की रात्रि को भी हमने कस्बा बडगांव में पत्थर टाईल्स की दुकान से हुई चोरी की सम्बन्ध में राजू उपरोक्त ने बताया कि मैने तथा हमारे तीसरे साथी ने मिलकर दुकान का शटर तोडकर टोंटी , पैनल, डीवीआर चोरी किया था इस चोरी में रविन्द्र हमारे साथ नही था। जिसमें से हमने कुछ सामान चलते फिरते कबाडी की फेरी करने वाले को बेच दिया था तथा सामान बेचकर जो रूपये मिले थे उन्हे दोनो ने बराबर बांट लिया

था। जो अब खर्च हो गये है। हम जो भी सामान चोरी करते थे उसे सर्विस रोड के सामने आम के बाग के पीछे बने खण्डहर मे छिपा देते थे

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

1- राजू पुत्र नन्दपाल निवासी ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2- रविन्द्र पुत्र महाराम निवासी ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर

**अभियुक्त राजू का आपराधिक इतिहासः-**

1- मु0अ0सं0 13/23 धारा 379/411/420 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 691/22 धारा 379/411/420 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 28/22 धारा 398/401 भादवि थाना बडगांव जिला सहारनपुर
4- मु0अ0सं0 30/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जिला सहारनपुर
5- मु0अ0सं0 136/24 धारा 331(4)/305(ए)/324(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
6- मु0अ0सं0 238/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
7- मु0अ0सं0 239/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर

**अभियुक्त रविन्द्र का आपराधिक इतिहासः-**

1- मु0अ0सं0 238/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 239/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरणः**

- 05 बैटरे
- 01 इन्वर्टर
- 02 डीवीआर

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-**

1- उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- उ0नि0 श्री बिजेन्द्र शर्मा थाना बडगाव जनपद सहारनपुर।
3- उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4- हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5- कां0 2237 योगेन्द्र थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 25.10.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनाकं 25.10.2024 को 01 वारंटी अभियुक्त **गुलजार पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 162/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 4/11 पशु क्रूरता अधि0 को दौराने दबिश उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

गुलजार पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-**

1. उ0नि0 नितिन कुमार, थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. का0 2216 वीरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25.10.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना फतेहपुर द्वारा लूट के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2024 को वादी श्री मोनू पुत्र जीत सिंह नि0 ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत दिनांक 26.06.2024 को अभियुक्तगण अनुज उर्फ घोसी पुत्र सुभाष निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर व उसके तीन साथी नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के साथ लूट किये जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 125/24 धारा 392 भादवि बनाम अनुज उर्फ घोसी उपरोक्त व उसके तीन साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त लूट की घटना का संज्ञान लेते हुये अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एंव बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.07.2024 को नामजद अभियुक्त अनुज उर्फ घोसी उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 24.10.2024 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त **विशाल उर्फ विशु पुत्र झण्डू निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम फरकपुर नवादा के रास्ते पर आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं व मेरे ही गाँव का मेरा साथी अनुज उर्फ घोषी पुत्र सुभाष के साथ मिलकर दिनांक 26.06.2024 समय करीब 21.00 बजे ग्राम पूजनेकी पुल से मुसैल की ओर मोड़ पर एक ई-रिक्शा वाले व्यक्ति से एक हजार रूपये व मोबाईल फोन छीना था। जिसमें से 600 रुपये अनुज के हिस्से में आये थे एवं 400 रुपये व मोबाईल मेरे हिस्से में आया था। जिसे मैंने एक चलते फिरते व्यक्ति को 500 रुपये में बेच दिया था। मेरे हिस्से में आये 400 रुपये एवं मोबाईल बेचकर प्राप्त किये गये 500 रुपये मेरे द्वारा खर्च लिये है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल उर्फ विशु पुत्र झण्डू निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 405/21 धारा 120बी/307/394/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 425/24 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 326/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 24/23 धारा 414 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 125/24 धारा 392 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 98/21 धारा 380/457/511 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार सांगवान थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. का0 952 अरविन्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 25.10.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.10.2024 को वादी मु0 इकराम पुत्र अव्दुल रहमान नि0- खान आलमपुरा शेखो वाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की साइकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध दी गयी। जिसके आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 270/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए चोरी की रोकथाम व घटना के अनावरण एंव अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतू सम्बन्धित को दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्त, **मेहताब पुत्र शमीम निवासी शेखपुर अड्डा डेरा बन्दा नवाज सदर बाजार कोतवाली सहारनपुर** को रिमाउण्ट डिपो की तरफ से डीएम आवास के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी साइकिल बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317/(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

मेहताब पुत्र शमीम निवासी शेखपुर अड्डा डेरा बन्दा नवाज सदर बाजार कोतवाली सहारनपुर

**बरामदगी का विवरणः-**

- 01 साइकिल कम्पनी AVON ACTION

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री विजय सिह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. का0 2487 अनिल, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. हो0गा0 2541 जय सिह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर

दिनांक: 25.10.2024

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना नानौता पुलिस द्वारा नाबालिग युवती से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.10.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त चमन पुत्र हरमल निवासी ग्राम कचराई थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया/पीडिता के साथ दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 252/24 धारा 64(f),115(2),352 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी नानौता को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामलें में वांछित **अभियुक्त चमन पुत्र हरमल निवासी ग्राम कचराई थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को गांव कचराई से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

चमन पुत्र हरमल निवासी ग्राम कचराई थाना नानौता जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25.10.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **इकराम पुत्र अनवर नि0 फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर** वाद संख्या- 2959/23 धारा—3/5/8 सीएसएक्ट को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

इकराम पुत्र अनवर नि0 फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 श्री सुभाष राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का01052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 2261राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25.10.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.10.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अनुज उर्फ मच्छर पुत्र धर्मपाल निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा घर में घुसकर वादिया के साथ मारपीट एवं दुष्कर्म किये जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 620/24 धारा 333/109 /115(2)/351(3)/64(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनाक 25.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अनुज उर्फ मच्छर पुत्र धर्मपाल निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर** को हसनपुर चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

अनुज उर्फ मच्छर पुत्र धर्मपाल निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0स0 626/20 धारा 13 जी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 19/24 धारा 323/325/354/427/452/504/506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 620/24 धारा 333/109/115(2)/351(3)/64(1) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 25.10.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया इण्डेन गैस सिलेण्डर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2024 को वादी श्री अक्षय पुत्र रोहताश नि0 चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की वादी का गैस सिलेडर इण्डेन कम्पनी का चोरी के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 272/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 चोर/**अभियुक्त शाकिर पुत्र अब्दुल कादिर निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर** को चकहरेटी जाने वाले रास्ते के पास खाली पडी निर्माणधीन दुकान से से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे चोरी किया गया गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317/(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शाकिर पुत्र अब्दुल कादिर निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर

**बरामदगी का विवरणः-**

01 अदद सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-**

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 113 विकास, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0का0 731 पोपिन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर

दिनांक 25-10-2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13, सहारनपुर द्वारा मारपीट व नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलें में अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –**

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.08.23 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त बिलाल पुत्र नसीब निवासी ग्राम खजूरहेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडखानी करने तथा विरोध करने पर गाली-गलौच करते हुये वादी के साथ मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाकर घायल करने की सूचना के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0-187/2023 धारा 354ए,323,504, भादवि व 9एम/10 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत कराया गया था तथा उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 2311/23 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 25.10.24 को बिलाल पुत्र नसीब उपरोक्त को मु0अ0स0-187/2023 धारा 354ए,323,504 भादवि व 9एम/10 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 05 वर्ष कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

**शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विवेक कौशिक**
**विवेचक उ0नि0 श्री इन्द्रसैन**
**पैरोकार है0का0-754 प्रीतम सिंह थाना जनकपुरी**